न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 894/2024

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र बगड़ावत जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. राकेश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
6. कमा पुत्री बगड़ावत जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
7. गुडी पुत्री बगड़ावत जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
8. रूकमा पुत्री बगड़ावत जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक:** 04/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 13.0500 हैक्ट भूमि जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/24 हिस्सा भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 24/22 की कुल 47.3810 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक का 5265/189524 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता स0 43/29 की कुल 30.9080 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 2589/123652 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 159/58 की कुल 16.3520 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 ता 8 के साथ वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 ता 8 के नाम उक्त वाद भूमि अनुचित तौर से गलत दर्ज हुई है। वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका है। मुताबिक बंटवारा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 13.0500 हैक्ट भूमि जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/24 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता स0 43/29 की कुल 30.9080 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 2589/123652 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 159/58 की कुल 16.3520

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 123/119 की कुल 15.8080 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 647/31616 हिस्सा भूमि दर्ज है उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 2 ता 3 बहिब काबिज है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 24/22 की कुल 47.3810 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 10 प्रत्येक के नाम 5265/189524 हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि पैतृक होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 ता 8 के साथ वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 ता 8 के नाम उक्त वाद भूमि अनुचित तौर से गलत दर्ज हुई है। वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका है। मुताबिक बंटवारा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 13.0500 हैक्ट भूमि जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/24 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता स0 43/29 की कुल 30.9... हैक्ट भूमि ... प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 2589/123652 हिस्सा भूमि ... तहसील नोहर के खाता स0 159/58 की कुल 16.3520 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 123/119 की कुल 15.8080 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 647/31616 हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज है उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 2 ता 3 बहिब काबिज है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 24/22 की कुल 47.3810 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 10 प्रत्येक के नाम 5265/189524 हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है एवं रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 24/22 की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रहेंगी। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 13.0500 हैक्ट भूमि जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/24 हिस्सा भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 24/22 की कुल 47.3810 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक का 5265/189524 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता स0 43/29 की कुल 30.9080 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 2589/123652 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 159/58 की कुल 16.3520 हैक्ट भूमि प्रतिबादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा बगड़ावत के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है एवं रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 24/22 की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रहेंगी। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 13.0500 हैक्ट भूमि जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/24 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता स0 43/29 की कुल 30.9080 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 2589/123632 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 159/58 की कुल 16.3520 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा रेखमालिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के खाता स0 123/119 की कुल 15.8080 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 647/31616 हिस्सा भूमि दर्ज है उक्त चारों खातो में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 24/22 की कुल 47.3810 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 5265/189524 हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:35 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 894/2024
अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र बगड़ाबत जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. राकेश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
6. कमा पुत्री बगड़ावत जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
7. गुडी पुत्री बगड़ावत जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
8. रूकमा पुत्री बगड़ावत जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 894 सन 2024 निर्णय दिनांक 04/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदनमोहन जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मांगीराम बैनीवाल राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 13.0500 हैक्ट भूमि जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/24 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता स0 43/29 की कुल 30.9080 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 2589/123632 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 159/58 की कुल 16.3520 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 123/119 की कुल 15.8080 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 647/31616 हिस्सा भूमि दर्ज है उक्त चारों खातो में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 24/22 की कुल 47.3810 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 5265/189524 हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:35 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर